हनुमानसहाय बनाम सूरजाराम वगैरह

मु० नं० – 110/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

12-5-18

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार वर्ष–2018
श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महो. राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर. के पत्रांक प.12 (15) राज–1/2016 दिनांक [illegible] की पालना एवं श्रीमान जिला कलक्टर महो. [illegible] प्रदत्त दिशा निर्देशों की पालना में पत्रावली पूर्व नियत [illegible] 24-5-18 से तलब हाकर आज पेश हुई। उक्त दिशा निर्देशों की अनुपालना में पत्रावली लोक अदालत में सुनवाई हेतु रखी जानी है। अतः लोक अदालत/कैम्प कोर्ट स्थान अटल सेवा केन्द्र अजीतगढ़ में दिनांक – 24-5-18 को पत्रावली पेश हो। उक्त निर्धारित दिनांक एवं स्थान पर उपस्थित होने हेतु पक्षकारान को सूचित जारी हो।

24.05.2018

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प–अजीतगढ़ में पेश हुई। प्रकरण में प्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रकरण के बहस में नियत होने से प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अप्रार्थी न. 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चूकी है। अप्रार्थी न.1 ता 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हो चूका है तथा प्रकरण दिनांक 04.01.2018 से आदिनांक तक लगातार बहस में चल रहा है। बहस हेतु कई अवसर दिये जा चूके है। लेकिन बावजूद अवसरों के भी बहस नहीं की गई है। प्रकरण पत्थरगढ़ी से सम्बन्धित है। जिसमें प्रार्थी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 2481 रकबा 1.05 हैक्टर तन् ग्राम अजीतगढ़ का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20.06.2016 के अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन किया है। मौके पर उपस्थित उप तहसीलदार अजीतगढ़ ने अवगत कराया कि सीमा चिन्हों को बिना रद्दोबदल किये पत्थरगढ़ी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होने बाबत अवगत कराया।

प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात् यथा जमाबन्दी सम्वत् 2069–72, नजरी नक्शा ट्रेस प्रति, फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 20.06.16 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में

Scanned by CamScanner

हनुमानसहाय बनाम सुरजाराम वगै०
मु० नं० – 110/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः प्रकरण में राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से प्रकरण में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना उचित समझता हूँ। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का अजीतगढ़ द्वारा दिनांक 20.06.2016 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस का नियमानुसार आंकलन कर राशि जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का अजीतगढ़ द्वारा दिनांक 20.06.2016 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक भौतिक मौका स्थिति में बिना कोई परिवर्तन किये पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इस हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प अजीतगढ़ के मजमे–ए–आम में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) (ब्रह्मलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर) कैम्पः– अजीतगढ़	

Scanned by CamScanner